(केवल बंदोबस्त के उपयोग के लिये)

[illegible] जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम कोटेड़ा पटवार क्षेत्र कोटेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] राजस्थान सम्वत् 20[illegible]

खाता नं. नई	खाता नं. पुरानी	काश्तकार का नाम	खातेदार का नाम मय पिता का नाम, जाति व निवासस्थान के पते सहित एवं भू-धृति का लेखा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	लगान: दर सहित ब्यौरा	लगान: रकम	सम्वत्......के लिए: अन्तरण के प्रकार सहित प्रमाणित नामान्तरकरण आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत्......के लिए: अन्तरण के प्रकार सहित प्रमाणित नामान्तरकरण आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत्......के लिए: अन्तरण के प्रकार सहित प्रमाणित नामान्तरकरण आदेश की संख्या एवं तारीख	सम्वत्......के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	1	राजस्थान सरकार	माडल स्कूल कोटेड़ा (त्रु- जमीन [illegible]) [illegible]	2485 3.76	4.00	माडल स्कूल									
			कुल रकबा किता 1		4.00										

उपरोक्त प्रकार से दुरुस्त है
माडल स्कूल 4.00

क्रमांक P35 (152) 0.XII.16

[illegible]

8-XII-16
[illegible] कोटेड़ा

रा. मु. जी. 13-2080-4,00,000 म.

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- बालेटा
पटवार हल्का :- बालेटा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- पूनखर
तहसील :- मालाखेडा
जिला :- अलवर

सम्वत :- 2071 - 2074
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 850
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

मॉडल स्कूल बालेटा (99 वर्षीय लीज) ना.स. 1512आवंटन

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2485/3760	4.0000	मॉडल स्कूल	4.0000	0.00			
कुल 1 खसरे -	4.0000		4.0000	0.00			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 02/01/2019

नामान्तरकरण अद्यतन दिनाँक:- 18/07/2017

NIC

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक – राजस्व/10/

दिनांक –

—— : आदेश :——

प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर के प0 क्र0 प0 (15) शिक्षा –1 / 2003 दिनांक 12.10.09 से एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के क्र0 प0 पत्रांक शिविरा /मा/साप/डी–3/3316 /08–09 दिनांक 27.07.09 से शैक्षिक रूप से पिछड़े समस्त ब्लाक्स में 5–10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटन करने हेतु लिखा गया है।

तहसीलदार अलवर से आराजी खसरा नम्बर 2485/7.02 है0 में से 4.00 है0 बजड़ सिवायचक ग्राम बालेटा तहसील अलवर भूमि को मॉडल स्कूल निर्माण हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुये। प्रस्तावित भूमि आवंटन बाबत ग्राम पंचायत बालेटा पंचायत समिति उमरैण द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव लिया गया तथा उपनगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर ने अपने पत्र 129 दिनांक 22.3.2010 से सशर्त अनापत्ति दी गयी है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 2485/7.02 है0 में से 4.00 है0 बजड़ सिवायचक भूमि ग्राम बालेटा तहसील अलवर को मॉडल स्कूल निर्माण हेतु भूमि किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला आदि सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत मॉडल स्कूल बालेटा निर्माण हेतु 99 वर्षों की लीज पर निम्न शर्तों पर निशुल्क आवंटन की जाती है।

शर्तें :–

01. आवंटित आराजी की नियमानुसार लीज डीड सम्पादित कराई जावेगी।
02. आवंटन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आवंटन आराजी का किसी प्रकार का बेचान रहन एवं हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा।
03. भूमि जिस प्रयोजनार्थ आवंटन हुई है उसी प्रयोजन के काम में ली जावेगी।
04. आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृति जारी होने की 6 माह की अवधि में आरम्भ किया जाकर 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराया जावेगा।
05. डबल सड़क से प्रस्तावित भूमि तक पहुँचने हेतु ख0 न0 2485, 2542, 2551 व 2552 में 40 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जावेगा।
06. मॉडल स्कूल द्वारा मॉडल राज0 (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानुसार सामने का सैट बैक 18 मी0 एवं शेष तीनों तरफ के सैट बैक 9–9–9 मी0 रखे जावेंगे अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत एवं एफएआर 1.0 रखा जावेगा।

D/Umesh/ order/2008

07 प्रस्तावित स्थल हेतु [illegible] सड़क से केवल एक प्रवेश द्वार ही अनुज्ञेय होगा।

08 मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये भवन संबंधी संगत सुविधायें यथा कुर्सी तल तक पहुंच मार्ग, विकलांगों के लिये प्रवेश/निकास द्वारों की चौड़ाई का गलियारा, सीढ़ी मार्ग, शौचालय, पेयजल इत्यादि का निर्माण सुनिश्चित किया जावेगा।

09 मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार भू-गर्भ का जलस्तर बढ़ाने हेतु वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए समुचित क्षमता का भूमिगत एक [illegible] बनाया जायेगा तथा जल के रिसाव हेतु बोरवेलनुमा अथवा सोक पिट जैसी अन्य व्यवस्था की जावेगी।

10 मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार सक्षम [illegible] विभिन्न व्यवस्थायें राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप [illegible] अपने स्तर पर करनी होगी।

11 प्रस्तावित मॉडल स्कूल निर्माण हेतु अन्य मापदण्ड मॉडल राज0 (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानुसार रखे जावेंगे।

12 संस्था द्वारा भवनों को भू कम्प रोधी बनाने एवं अग्निशमन हेतु नगरीय विकास विभाग राज0 सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10/10 नविवि/3/2000 दिनांक 24.10.2007 में उल्लेखित बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई एस कोड के उपलब्ध एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी जिसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

13 संस्था द्वारा जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू होते हों) के सभी संबंधित प्रावधानों की दृढ़तापूर्वक पालना की जावेगी।

13 [illegible] द्वारा प्रस्तावित विद्यालय भवन का निर्माण, सक्षम ऑथोरिटी से मानचित्र अनुमोदित [illegible] के पश्चात किया जावेगा।

14 संस्था द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बारिश के दिनों में पानी के निकास एवं होने वाले कटाव व रोकथाम के लिये उचित प्रबंध किए जावेंगे।

15 संस्था द्वारा प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास के उचित प्रबंध किये जावेंगे।

16 संस्था द्वारा सम्पूर्ण भूमि का उपयोग मॉडल स्कूल के अतिरिक्त अन्य में नहीं किया जावेगा।

जिला कलक्टर,
अलवर

दिनांक – 30/3/10

क्र-15 – राजस्व/09/ 8134–110

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01 प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर को उनके अ0शा0 पत्रांक प.4(15)शिक्षा–1 ...008 दिनांक 12.10.09 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

02 निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर (राज) को उनके अ0शा0 पत्रांक शिविरा/माध्य/साप/डी–3/3818/08–09 दिनांक 27.07.0[illegible] के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

[illegible] राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान जयपुर।

[illegible] उपखण्ड अधिकारी अलवर।

तहसीलदार [illegible] नियमानुसार आवंटित अराजी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें एवं [illegible] करावें।

रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
अलवर

कार्यालय तहसीलदार अलवर

क्रमांक: राजस्व/11/767 दिनांक: 4-8-11

उप तहसीलदार
[illegible]

[illegible] नियमानुसार [illegible] सुनिश्चित [illegible]

तहसीलदार अलवर
जिला–अलवर (राज.)

D/Ramesh/ order ...908

कार्यालय उप तहसीलदार (भू-अ) मालाखेड़ा अलवर

क्रमांक : नकल/11/693 दिनांक 11/8/2011

पटवारी हल्का खोहरा

भेज कर लेख है कि पत्र के निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

नायब तहसीलदार
मालाखेड़ा (अलवर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर

क्रमांक–एलआर 1628/127 दिनांक 23-7-10

जिला कलक्टर,
अलवर

विषय – [illegible] मॉडल विद्यालय को भूमि आवंटन बाबत्।

संदर्भ–[illegible] पत्र क्रमांक 1746 दिनांक 16.03.2010

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व ग्राम [illegible], तहसील अलवर स्थित खसरा 2485 [illegible] [illegible] हैक्टेयर भूमि में ... 4 हैक्टेयर भूमि, किस्म बंजड, मॉडल स्कूल को आवंटन बाबत कार्यालय की [illegible] [illegible] नहीं है। प्रकरण में आपके प्रस्तावानुसार ग्रेवल सड़क से प्रस्तावित भूमि तक पहुंच [illegible] खसरा 2485,2542,2551 व 2552 में 40 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जाता है। तो [illegible] [illegible] भूमि को मॉडल स्कूल [illegible] निम्न शर्तों के साथ आवंटन किये जाने से सहमति [illegible] है।

1. प्रस्तावित भूमि [illegible] पहुंचने हेतु आपके प्रस्तावानुसार ग्रेवल सड़क से प्रस्तावित भूमि तक पहुंच हेतु खसरा 2485,2542,2551 व 2552 में 40 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जावेगा।
2. मॉडल स्कूल द्वारा मॉडल राज0 (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 प्रारूप के प्रावधानुसार [illegible] [illegible] सेट बैक 18 मी0 एवं शेष तीनों तरफ के सैट बैक 9–9–9 मी0 रखे जावेंगे [illegible] आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत एवं एफएआर 1.0 रखा जावेगा।
3. प्रस्तावित स्कूल हेतु उक्त सड़क से केवल एक प्रवेश द्वार ही अनुज्ञेय होगा।
4. मॉडल राज0 (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिऐ प्रवेश /निकास द्वारों को जाने का गलियारा,सीढ़ी, मार्ग, [illegible] [illegible] इत्यादि का निर्माण सुनिश्चित किया जावेगा।
5. मॉडल राज0 (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानुसार भूगर्भ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के पानी को एकत्रित करने के लिऐ समुचित क्षमता व भूमिगत एक

या एक से अधिक टैंक बनवाया जायेगा तथा जल के निकास हेतु सोकपिटनुमा अथवा सोक पीट जैसी अन्य व्यवस्था की जावेगी।

6. मॉडल राज0 (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानुसार जल-मल सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थायें राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होगी जो संस्था द्वारा स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी।

7. प्रस्तावित [illegible] स्कूल निर्माण हेतु अन्य [illegible] मॉडल राज0 [illegible] विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानुसार [illegible] जावेंगे।

8. संस्था द्वारा भवनों को भू-कम्प रोधी बनाने एवं अग्निशमन हेतु नगरीय विकास विभाग राज0 सरकार के परिपत्र कमांक प.10/10 नविवि/3/2000 दिनांक 24.10.2002 में उल्लेखित बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस.कोड के उपलब्ध एवं निर्धारित मापदण्डो की पालना पूर्ण रुप से सुनिश्चित करनी होगी जिसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

9. संस्था द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों आदि लागू होते है के सभी सम्बन्धित प्रावधानों की दृढतापूर्वक पालना की जावेगी।

10. संस्था द्वारा [illegible] विद्यालय [illegible] का निर्माण सक्षम आथोरिटी से भवन मानचित्र अनुमोदित कराने के पश्चात किया जावेगा।

11. [illegible] संस्था की दृष्टि से [illegible] के [illegible] होने वाले भूमि को [illegible]

12. [illegible] के उचित प्रबन्ध किये जावेंगे।

13. [illegible] अतिरिक्त अन्य में [illegible] किया [illegible]

14. प्रस्तावित भूमि का माप व क्षेत्रफल की जांच उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अलवर द्वारा की जावेगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 10/3/2010

उप नगर नियो0,

अलवर क्षेत्र अलवर

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRINCIPAL

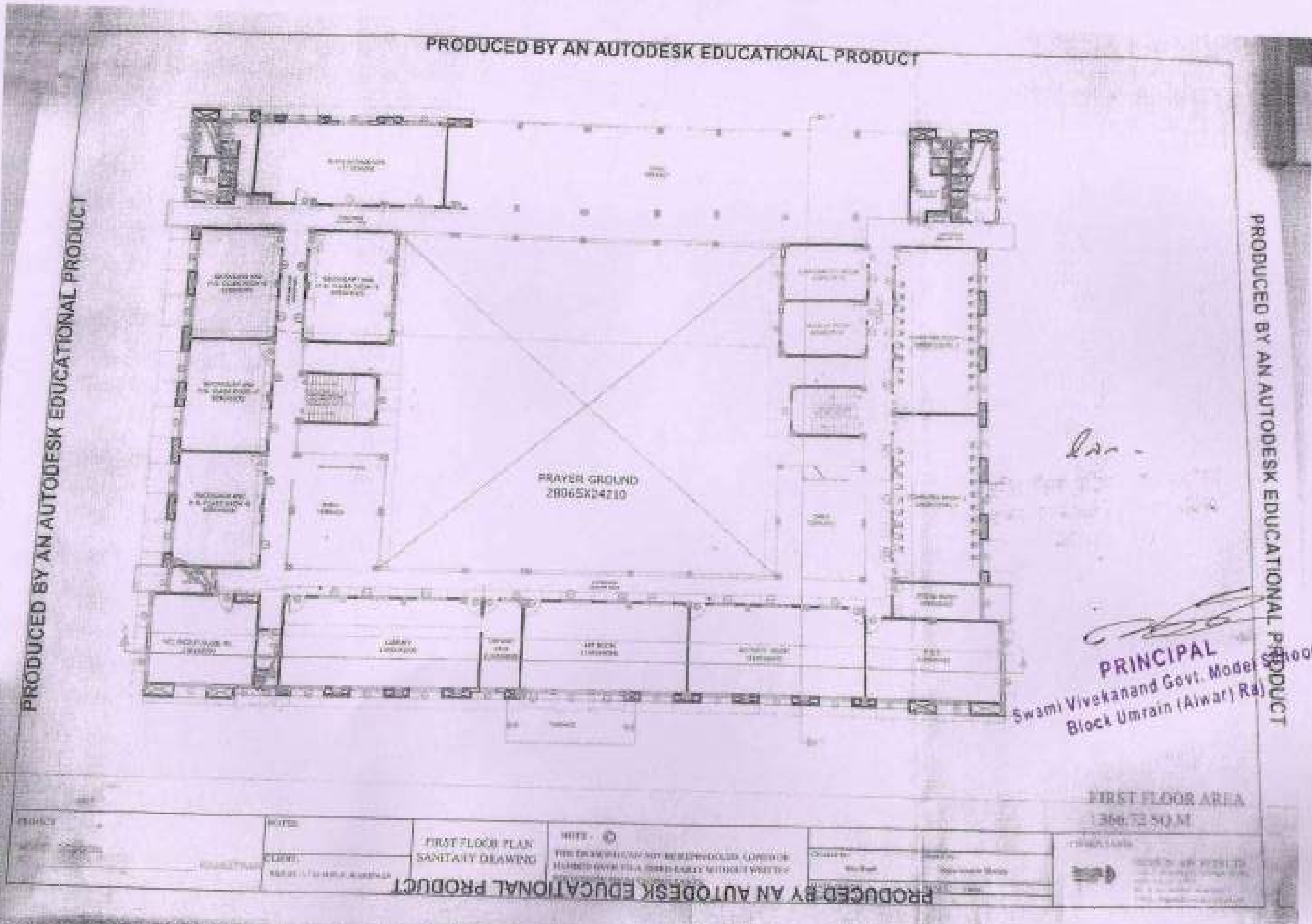

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRAYER GROUND
28065X24210
FIRST FLOOR AREA
1366.72 SQ.M
FIRST FLOOR PLAN
SANITARY DRAWING
PRINCIPAL
Swami Vivekanand Govt. Model School
Block Umrain (Alwar) Raj

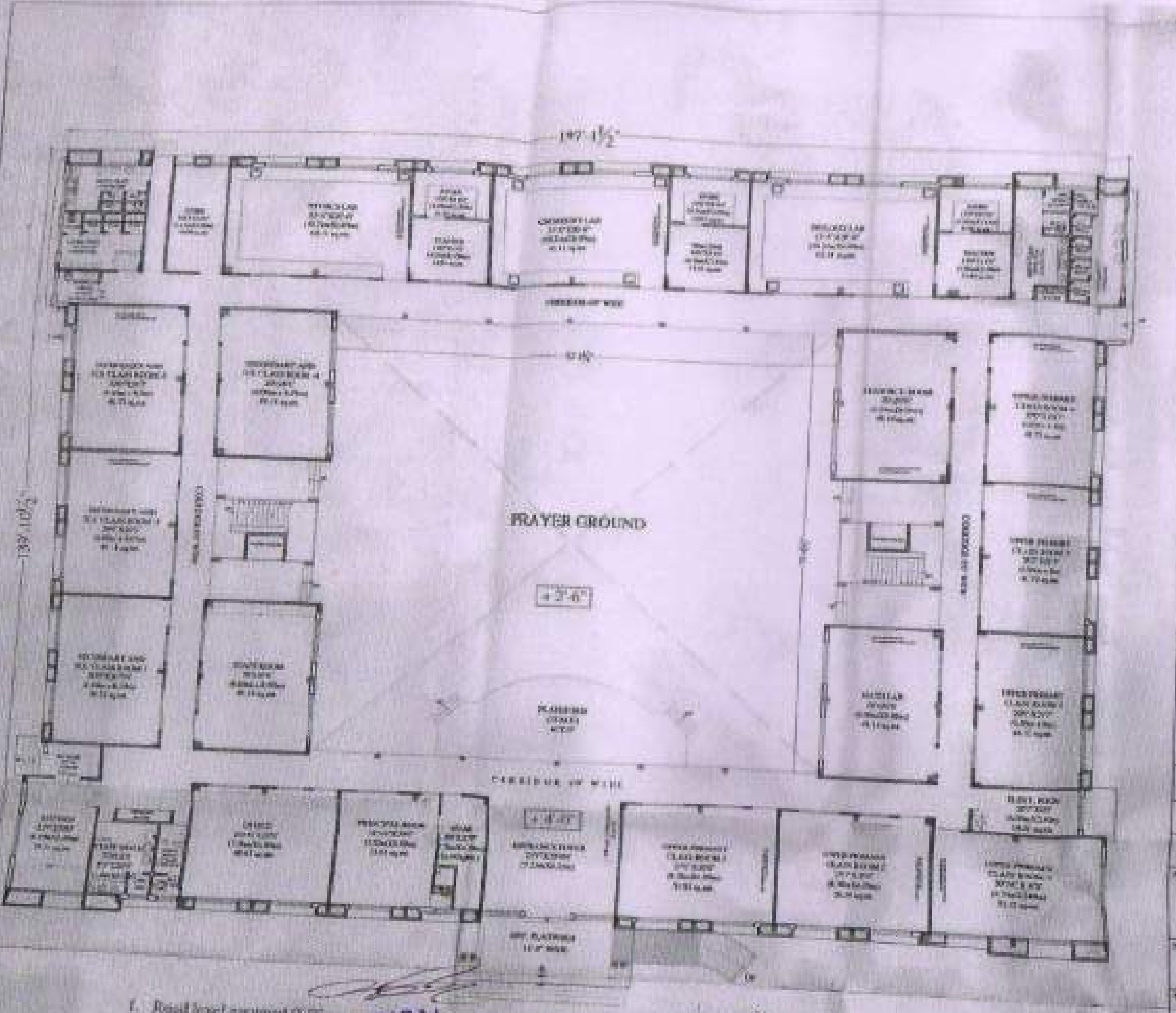

PRINCIPAL
Swami Vivekanand Govt. Model School
Block Umrain (Alwar) Raj

AREA STATEMENT

G.F. Plinth Area = 18546.98
F.F. Plinth Area = 13744.27
TOTAL Plinth Area = 32291.25 Sq.Ft.

NOTE :

1. Corrections/ revisions done as suggested vide letter no.-RCSE/... dated 9.4.15
2. Minor modifications suggested on 10.04.15 by the education deptt. in the meeting with principal secretary/RCSE have been incorporated.

ARVIND BHARDWAJ CHIEF ARCHITECT	
RITU GUPTA SR. ARCHITECT	
DRG. BY R.D. SHARMA	
PROJECT	PROPOSED MODEL SCHOOL (TYPE DESIGN)
NAME OF DRG.	GROUND FLOOR PLAN
PROJECT NO. ARCH/643/2015	DRAWING NO. 4
SCALE	DATE 10.04.2015

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD. JAIPUR

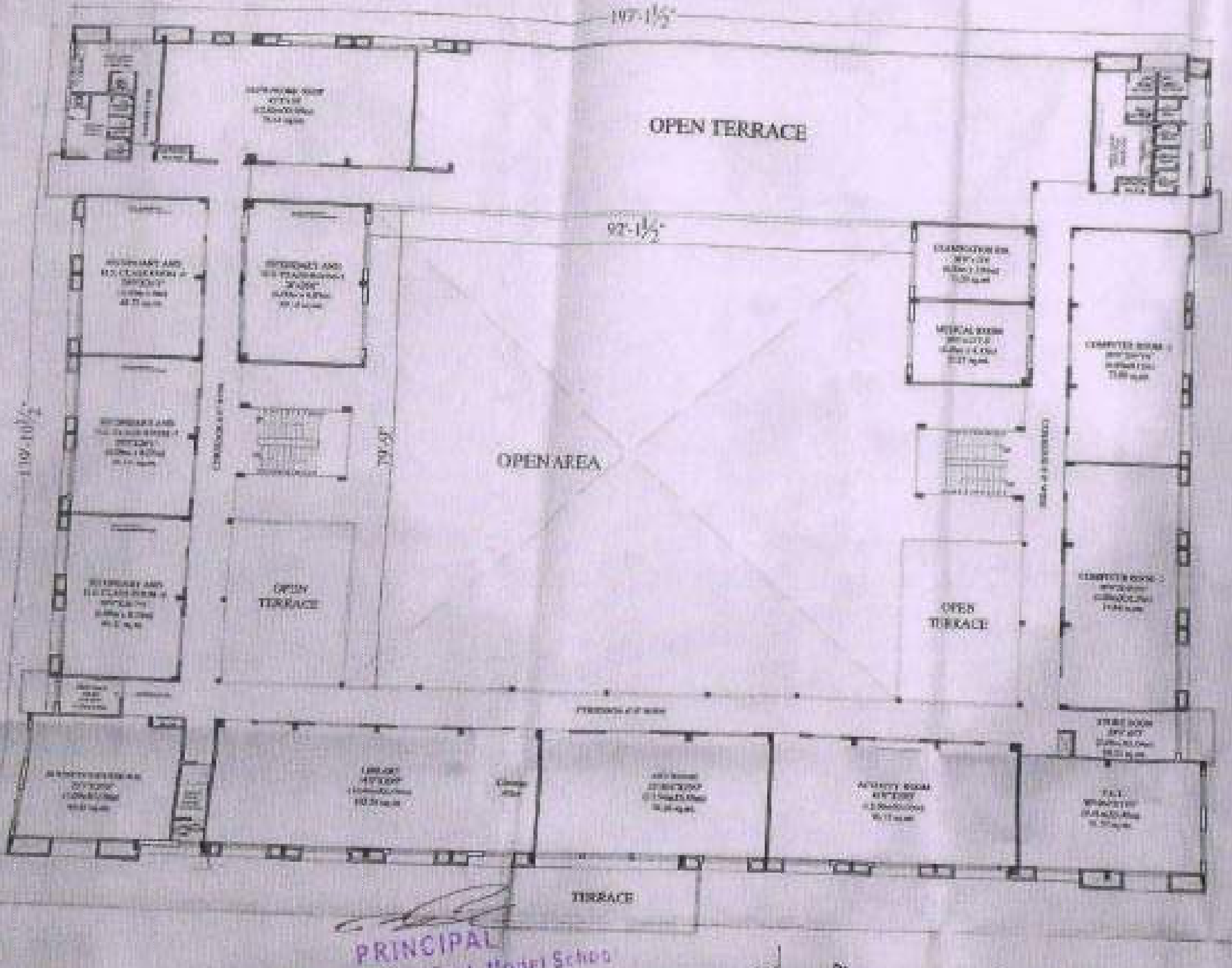

AREA STATEMENT

G.F. Plinth Area = 18546.98

F.F. Plinth Area = 13744.27

TOTAL Plinth Area = 32291.25 Sq.Ft.

NOTE :-

1. Corrections/revisions done as suggested vide letter no. RCSE/ ... /4430 dated 9.4.15
2. Minor modifications suggested on 10.04.15 by the education dept. in the meeting with principal secretary (RCSE) have been incorporated.

R.K.D.

ARVIND BHARGAVA, CHIEF ARCHITECT	
RITU GUPTA, SR. ARCHITECT	
DELT. BY: R.K. SHARMA	
PROJECT: PROPOSED MODEL SCHOOL (TYPE DESIGN)	
NAME OF DRG.: FIRST FLOOR PLAN	
PROJECT NO.: ARCH/645/2015	DRAWING NO.: 2
SCALE:	DATE: 10.04.2015

RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD. JAIPUR

PRINCIPAL
Swami Vivekanand Govt. Model School
Block Umrain (Alwar) Raj.